क्रम हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
05/02/24	वकलाय फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट व मूल आवेदन पर बहस सुनी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त मौका रिपोर्ट को स्वीकार किया गया व प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किये जाने का आदेश करने हेतु निवेदन किया गया। तथा विप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश की गई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनने तथा पत्रावली व पत्रावली में प्राप्त तहसीलदार गिड़ा से मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर (SDO), बायतु, जिला – बाड़मेर Signature Not Verified Digitally signed by Sanjay Kumar Gora Date: 2024.02.29 11:30:24 IST Reason: SelfAttested	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु, जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी श्री संजय कुमार गोरा, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 235 / 2023 दिनांक :– 05/02/2024

प्रार्थी

1. मोटाराम पुत्र लिछमणाराम
2. रविन्द्र कुमार पुत्र लिछमणाराम
3. लिछमणाराम पुत्र उदाराम
4. विरमाराम पुत्र लिछमणाराम
5. हड्डुमानराम पुत्र लिछमणाराम जाति जाट निवासी बेरीनाडी, सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण

1. अन्नाराम पुत्र खेमाराम
2. तुलछाराम पुत्र खेमाराम
3. हेमीदेवी पत्नी खेमाराम जाति जाट निवासी बेरीनाडी, सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा जिला बालोतरा
4. शाखा प्रबंधक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा सवाउ पदमसिंह
5. तहसीलदार गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO) सत्यमेव जयते बायतु

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 –क (1) रा.का.अधिनियम

Application for permission under sub-section (1) pf section 251-A of the Rajasthan tenancy Act, 1955

उपस्थिति :–

1. श्री रिणछाराम सियाग अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री गणेश कुमार अधिवक्ता विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3

आदेश

प्रार्थीगण ने अपनी खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 41.1646 हैक्टेयर ग्राम बेरीनाडी पटवार मण्डल सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा से सड़क तक पहुंचने के लिए विप्रार्थीगण की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 114 रकबा 15.2[illegible] हैक्टेयर में से होकर 15 फीट रास्ता स्थापित कर खुलवाने हेतु यह आवेदन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) की उपधारा (1) के अन्तर्गत इस न्यायालय में पेश [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:30:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु
जिला-बाड़मेर

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस वास्ते जवाब आवेदन तलब किया। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की ओर से वकील श्री गणेश कुमार द्वारा वकालातनामा पेश किया गया व जवाब पेश किया गया।

प्रकरण में मौका रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु तहसीलदार गिड़ा को तहरीर जारी की गई। मौका रिपोर्ट तहसीलदार गिड़ा से प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार गिड़ा ने मौका रिपोर्ट में उल्लेख किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। चाहे गये रास्ते में किसी प्रकार का निर्माण नहीं है। मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शें में बरंग रास्ता प्रस्तावित किया गया है तथा प्रस्तावित रास्ते का रकबा खसरा नम्बर 114 में से 0.2024 हैक्टेयर है।

विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के वकील द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के सेढा सेढ खसरा नम्बर 115 मे से ही आवागमन हेतु रास्ते का उपयोग कर रहे है। विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 की भूमि में से ग्रेवल सड़क तक आने-जाने हेतु किसी प्रकार की सख्त आवश्यकता नहीं है। न ही किसी प्रकार की बाधा व रूकावट है। इसलिये प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 के वकील की मूल आवेदन व मौका रिपोर्ट पर बहस सुनी गई। प्रार्थीगण वकील ने अपने आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि प्रार्थीगण विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 114 से मौका रिपोर्ट में बताये रास्ते अनुसार ही मुख्य मार्ग तक पहुंचने हेतु आवागमन करता रहा है। इस रास्ते के अतिरिक्त प्रार्थीगण के आवागमन हेतु अन्य कोई नजदीकी व वैकल्पिक मार्ग नहीं है। अंत में निवेदन किया कि मौके पर मौका रिपोर्ट अनुसार रास्ता कायम किया जाये। प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण को रास्ते हेतु नियमानुसार मुआवजा राशि अदा करने हेतु सहमत है। विप्रार्थीगण वकील की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 114 में से रास्ता चाहा गया है जबकि विप्रार्थीगण के खेत में पूर्व में कोई रास्ता मौके पर नहीं चलता है तथा न ही मौके पर प्रस्तावित भूमि खाली है। प्रार्थीगण [illegible] संख्या 1 से 3 के सेढा सेढ खसरा नम्बर 115 की भूमि में चल रहे रास्ते का उपयोग कर रहे है। जबकि खसरा नम्बर 115 के खातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया गया है। दोनों [illegible] की आधि-आधि भूमि से रास्ता निकाला जाना विधि अनुसार आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:30:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (SDO)
[illegible]
जिला - बाड़मेर

हमने प्रार्थीगण व विप्रार्थीगण के अधिवक्ता को सुना, उनके कथनो पर मनन किया व पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। धारा 251 (क) (1) अनुसार जब कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदारो की जोत में से होकर नया मार्ग बनाना चाहता है और मामला खातेदारान् के मध्य पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो न्यायालय में इस हेतु आवेदन पेश होने पर यह साबित करना आवश्यक है कि प्रस्तावित रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है तथा प्रस्तावित रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं है साथ ही चाहा गया मार्ग लघुतम है।

तहसीलदार गिड़ा की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण द्वारा भी अपने जवाब एवं वहस में अन्य किसी उपलब्ध वैकल्पिक रास्ते के बारे में कथन नहीं किया हैं। इससे प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता स्पष्ट साबित होती है।

अप्रार्थीगण द्वारा भविष्य में विस्तार कि संभावना दर्शातें हुए प्रार्थी द्वारा चाहे गए मार्ग की आधी भूमि खसरा नंबर 115 के खातेदारों से लिए जाने का कथन/निवेदन किया गया। इस संबंध में प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं राजस्व नक्शें का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा 15 फीट चौड़ा रास्ता चाहा गया है । जबकि राजस्थान काश्तकारी कानून की धारा 251ए में 30 फीट तक रास्ता दिए जाने का प्रावधान है। यदि 15 फीट रास्ते को खसरा नम्बर 114 एवं 115 में समान रूप से विभाजित किया जाता है तो खसरों का अनावश्यक छोटे खण्डों में विभाजन हो जाएगा। यदि प्रार्थी भविष्य में उक्त मार्ग का विस्तार करवाना चहता है तो खसरा नंबर 115 से मार्ग विस्तार पर विचार किया जा सकता है। वर्तमान में 15 फीट चौड़े मार्ग को अलग अलग खसरों में विभाजित करना औचित्यपूर्ण नहीं लगता है। अप्रार्थीगण द्वारा यह भी स्पष्ट नंही किया गया कि खसरा नंबर 115 में उनके द्वारा प्रस्तावित मार्ग प्रार्थी द्वारा वांछित मार्ग से किस प्रकार लघुतम या अधिक उपर्युक्त होगा। उपर्युक्त विश्लेषण के मद्देनजर प्रार्थी द्वारा वांछित एवं तहसीलदार गिड़ा की रिपोर्ट में प्रदर्शित मार्ग दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:30:24 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम बेरीनाडी पटवार मण्डल सवाउ पदमसिंह तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 113 रकबा 41.1646 हैक्टेयर तक पहुंचने हेतु विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 114 में से 0.2024 हैक्टेयर का रास्ता मौका

सहायक कलक्टर (SDO)
गिड़ा
जिला – बाड़मेर

रिपोर्ट के संलग्न नक्शे में बरंग लाल से दर्शाये गये प्रस्तावित रास्ते के अनुसार 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है।

उक्त भूमि के खसरा नम्बर 114 का प्रतिकर डी.एल.सी. की दर प्रति बीघा से दुगना देय होगा। तहसीलदार गिड़ा प्रार्थी को रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि 0.2024 हैक्टेयर की राशि 52258/- तहसील कार्यालय में जमा कराने हेतु सूचित करें तथा प्रतिकर की राशि तहसील कार्यालय में जमा होने पर नियमानुसार विप्रार्थीगण संख्या 01 से 03 को भुगतान करे। इस आदेश के अनुसार रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को अप्रार्थीगणों की खातेंदारी से हटाते हुए राजकीय खातें में सार्वजनिक रास्ते के रूप में दर्ज करें। इस आदेश के आधार पर प्रार्थीगण को रास्तें के लिए प्रस्तावित भूमि पर अन्य कोई अधिकार प्राप्त नहीं होंगे।

आदेश आज दिनांक 05/02/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शूमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO)
बायतु
जिला-बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2024.02.29 11:30:24 IST
Reason: SelfAttested